Indian J. Soc & Pol. 03(02): 2016: 77-78 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर और सामाजिक न्याय

आलोक रंजन भारद्वाज[1]
[1]प्राचार्य, ब्रह्मेश्वरी महिला महाविद्यालय मझगाँवा,बांसगाँव गोरखपुर,उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

सामाजिक न्याय से आशय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में समानता है। वस्तुतः न्यायपूर्ण व्यवस्था वही होती है जो समान हो और समानता पर आधारित हो, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में जितनी अधिक असमानता और विषमता होगी उस समाज में अन्याय तथा शोषण की सम्भावना भी उतनी ही अधिक होगी। सामाजिक न्याय की धारणा बहुत व्यापक है। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था एवं धर्म ग्रन्थों में सामाजिक समानता, स्वतन्त्रता और भातृत्व की भावना का पूर्णतः अभाव है। इन भेद–भाव मूलक, व्यवस्थाओ ंका धर्म, राजसत्ता एवं समाज तीनों का समर्थन एवं संरक्षण प्राप्त था जिसके परिणाम स्वरूप समाज में शूद्र जातियों अस्पृश्य जातियों एवं आदिवासी व जनजातियों का जन्म एवं विकास हुआ। प्रस्तुत शोध पत्र में सामाजिक न्याय की प्रतिस्थापना एवम् समरस समाज की स्थापना हेतु डॉ भीम राव अम्बेडकर के प्रयासों पर दृष्टिपात किया गया है।

KEYWORDS: *डॉ भीम राव अम्बेडकर, सामाजिक न्याय, दलित, विषमता, शोषण*

महात्मा बुद्ध ने सर्व प्रथम हिन्दू धर्म की विकृतियों एवं सामाजिक–धार्मिक असमानता के विरूद्ध एक क्रान्ति की शुरूआत की जिसे बाद में सूफी सन्तों, पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं, समाज सुधारकों, महात्मा गाँधी, ज्योतिबा फूले तथा डॉ0 अम्बेडकर ने गति प्रदान की तथा दलित तथा पीड़ित जातियों की समस्या को उजागर किया। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार ''हिन्दू सोसायटी उस बहुमंजली मीनार की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिये न कोई सीढ़ी है और न ही दरवाजा जो जिस मंजिल में पैदा होता है उसे उसी मंजिल में मरना होता है।''(पूरनमल,2002पृ 28)

भारत में सामाजिक न्याय के प्रति जनजागृति धार्मिक व सामाजिक सुधार आन्दोलनों से हुई। धार्मिक सुधार आन्दोलनों से एक और पाखण्ड तथा दूसरी ओर जाँत–पात व अन्य मध्ययुगीन कुरीतियों के विरूद्ध संघर्ष किया। ये राष्ट्रीय प्रगति व एकता के मार्ग में बाधाएं थी।(देसाई,1982,पृ0287) भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना,अस्पृश्यता उन्मूलन एवं दलितोद्वार के लिये किये गये संघर्ष का अध्याय डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के योगदान का उल्लेख किये बिना अधूरा ही माना जा सकता है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एक क्रान्तिकारी विद्रोही थे जिन्होंने दलितों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलवाने के लिये संघर्ष किया।(धवन,1991,पृ12)

अछूत परिवार में जन्म लेने के कारण सामाजिक भेद–भाव, अपमान व तिरस्कार की जो पीड़ा डॉ0 अम्बेडकर ने झेली वैसी पीड़ा किसी अन्य को नहीं झेलनी पड़ी थी। इस कारण सामाजिक अन्याय के विरूद्ध संघर्ष विशेष रूप से दलितों के उद्धार के लिये संघर्ष को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन का उद्देश्य घोषित किया। उन्होंने कहा–जिस दलित जाति में मैं पैदा हुआ हूँ, उसे मुक्ति दिलाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और यदि मैं इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका तो गोली मारकर अपना जीवन समाप्त कर लूँगा।(मीर,1981,पृ0395)

डॉ0 अम्बेडकर सवर्णो में ह्रदय परिवर्तन और सामाजिक सुधार सम्बन्धी महात्मा गाँधी के कार्यक्रमों पर विश्वास नहीं करते थे। वे लम्बे समय तक दलितों की मुक्ति के लिये इन्तजार करने के पक्ष में भी नहीं थे। उनका विश्वास था कि स्वतन्त्रता और समानता सम्बन्धी जो अधिकार दलितों से छीन लिये गये हैं, उनको प्राप्त करना भीख माँगना नहीं,अपितु कठोर संघर्ष करने से ही प्राप्त हो सकता है।(पूर्वोक्त पृ082) हिन्दू धर्म में सुधार लाने से दलितों का सामाजिक न्याय मिल सकेगा, इस बात पर डॉ0 अम्बेडकर को विश्वास नहीं था उनका कहना था कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि अतीत में महात्माओं ने तेज आँधी की तरह केवल धूल उड़ाई है उनके द्वारा असमानता वाले स्तरों में समानता नहीं लाई जा सकी। महात्मा आए और चले गये किन्तु अछूत अछूत ही बने रहे।(अम्बेडकर वांगमय,1993,पृ160.161)

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का विचार था कि दलित लोग तबतक न्यायपूर्ण अधिकारों की प्राप्ति और अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते, तबतक कि राजनीतिक शक्ति पर उनका अधिकार नहीं होता, क्योंकि अपनी निर्धन स्थिति के कारण आर्थिक शक्ति पर उनका अधिकार कर पाना उनके लिये सम्भव नहीं है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में अपनी उल्लिखित संख्या के कारण ये लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक शक्ति पर अधिकार हो जाने से इस वर्ग के लिये आर्थिक व सामाजिक हितों की रक्षा करना कठिन नहीं रहेगा।

1: Corresponding Author

सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉ0 अम्बेडकर के योगदान की चर्चा करते समय उनके इस क्षेत्र में दिये गये वैधानिक एवं संवैधानिक योगदान को नहीं भुलाया जा सकता।संविधान सभा में संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने महिलाओं अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं श्रमिकों को न्याय दिलवाने की दृष्टि से संविधान में अनेक प्रस्ताव प्रावधान किये। भारत में कानून मन्त्री के रूप में डॉ0 साहब 'हिन्दू कोड बिल की संरचना की जो हिन्दू महिलाओं की मुक्ति व हिन्दू समाज के पुनर्गठन के सम्बन्धों में उनका ऐतिहासिक योगदान है।

आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय को प्रतिष्ठित करने, दलित वर्गों के प्रति उत्थान के प्रति वचनवद्ध रहने और उनके जीवन को सामान्य रूप से जीने योग्य अधिकार दिलाने वाले महापुरुष के रूप में डॉ0 अम्बेडकर का नाम अग्रणी महापुरुष के रूप में लिया जाता है और आगे भी लिया जाता रहेगा।

डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरूद्ध आवाज उठाने तथा उनके न्यायोचित हितों को लोगों के सामने मीडिया के सहारे कारगर रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक मासिक पत्र का प्रकाशन साहू जी महाराज की आर्थिक सहायता से 31 जनवरी 1920 से 'मूल नायक' नाम से प्रारम्भ किया। लोकमान्य तिलक के पत्र 'केसरी' को निकालने से इन्कार कर दिया था।(राजशेखराचार्य 1989) यह पत्र कई वर्षों तक दलित वर्ग में सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यावसायी चेतना जाग्रत करता रहा। उन्होंने 27 अप्रैल 1927 को अपना दूसरा पत्रिका मराठी पत्र 'बहिष्कृत भारत' निकालना प्रारम्भ किया। अम्बेडकर जी चहते थे कि दलितों की शिकायतें इस पत्र के माध्यम से सरकार तथा समाज के अन्य वर्गों तक पहुँचे।

डॉ0 अम्बेडकर का सारा विद्रोह हिन्दू समाज की उस वर्ण व्यवस्था, आचार–संहिता तथा विचारधारा के विरूद्ध था जिसमें सवर्ण के रूप में मान्य एक विशेष वर्ग को समाज के दूसरे वर्ग का शोषण, दमन और दासता के रूप में उत्पीड़ित करने का अधिकार प्रदान किया था। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार ईश्वर की सृष्टि में सभी मानव समान हैं और सभी उस परमपिता की सन्तान है, फिर भी एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करना उनकी दृष्टि में अन्याय था। डॉ0 अम्बेडकर ऐसे अलोकतान्त्रिक समाज के प्रति विद्रोह ही नहीं किया अपितु इसके विरूद्ध सबल जनमत बनाने में भी लग गये। वे चाहते थे कि समाज का वह शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग इस शोषण के दल–दल से बाहर निकले और उस वर्ग को सामाजिक न्याय तथा सामाजिक प्रतिष्ठा मिले।

डॉ0 अम्बेडकर ने व्यक्ति और समाज के परिप्रेक्ष्य में यह सिद्ध किया कि सभी मनुष्य समान हैं,सभी को समानता के साथ जीने का अधिकार है इसलिये न्याय और समता के आधार पर भारतीय समाज की पुनर्रचना की जानी चाहिये। इसके लिये उन्होंने वर्ण व्यवस्था का पूर्ण रूप से उन्मूलन आवश्यक समझा। उन्होंने भारत की सामाजिक संस्थाओं के निवारण के लिये हिन्दुओं को वर्ण व्यवस्था व धर्मशास्त्रों के बन्धन से मुक्त किया जाना आवश्यक माना।(अम्बेडकर वांगमय,पृ066)

स्वतन्त्र भारत में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाये जाने पर उन्होंने नयी सामाजिक व्यवस्था कायम करने की कल्पना की। उनका विचार था कि वर्ण और जाति व्यवस्था की विभीषिका को स्वतन्त्र भारत में दलितों को भोगने के लिये अब और अधिक विवश व बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। उन्होंने अपने इन्हीं आदर्शों को भारतीय संविधान में स्वीकृत कर वादा तथा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता और स्वतन्त्रता को संविधान में मौलिक रूप में स्थापित किया।उन्होंने भारतीय नारी के सम्मानजनक स्थान का समर्थन किया उन्होंने संविधान में इसे भी सम्मानजनक स्थान दिलाकर उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा कों पुनः स्थापित किया। अपनी इस भूमिका के कारण उन्हे सामाजिक क्रान्ति का जनक और आधुनिक मनु आदि की उपाधि मिली।

डॉ0 अम्बेडकर ने जीवनभर सामाजिक न्याय के लिये संघर्ष किया उनका सारा जीवन दलितों के लिये स्वाधीनता,समानता और सम्मानपमर्ण जीवन के लिये किय गये संघर्षों की कहानी है। अपना सम्पूर्ण परिवेष, आन्तरिक द्वन्दो, संवेदनाओं, अनुभवों, अवधारणाओं और प्रतिवद्धताओं से निर्मित डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 'इतिहास पुरूष' की संज्ञा को सही और सार्थक सिद्ध करते है। वे सम्पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय के मसीहा और अग्रदूत थे। उनके द्वारा चलाया गया सामाजिक न्याय के आन्दोलन की प्रासंगिता आज भी उतनी ही बनी हुई है, जितनी उनके समय में थी।

सन्दर्भ

ए0एस0 राजशेखराचार्य;,(1989): बी0आर0 अम्बेडकर द क्विस्ट फॉर सोशल जस्टिस, नई दिल्ली, उप्पल पब्लिशिंग हाउस,

धवन , शकुन्तला (1991): डॉ0 अम्बेडकर अयोसटल आफ सोशल जस्टिस *योजना* 15 अप्रैल 1991,

बाबा साहेब डॉ0अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्.मय ,(1993) खण्ड–1, डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान भारत सरकार, नयी दिल्ली

आत्माराम एण्ड सन्स, मीर, धनंजय,(1981): *डॉ अम्बेडकर लाइफ एवं मिशन*, बम्बई,पापुलर प्रकाशन,

मल, डॉ0 पूरण,(2002): *दलित संघर्ष एवं सामाजिक न्याय,* नई दिल्ली आविष्कार पब्लिशर्स

पापुलर प्रकाशन अम्बेडकर बी0आर0: *एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स* बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड.मय खण्ड–1,